राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ०राधाकृष्णन् शिक्षासंकुल, ब्लॉक–6, जवाहरलालनेहरू मार्ग, जयपुर–302017

दूरभाष: 0141–2709846E-mail: rajssaquality@gmail.com

क्रमांक:रा.स्कू.शि.प. / जयपुर / गुणवत्ता / रेमेडियल कक्षायें / 2019–20 6911 दिनांक: 18/10/19

कक्षा 9 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की विशेष शिक्षण कक्षाओं (Remedial Teaching) के संचालन हेतु दिशा–निर्देश : सत्र 2019–20

सत्र 2019–20 PAB अनुमोदन अनुसार कक्षा 9 में अध्ययनरत 1,34,626 विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता अभिवृद्वि हेतु विशेष शिक्षण (Remedial Teaching) कक्षाएं आयोजित किये जाने के लिए राशि रू. 673.13 लाख स्वीकृत हुई है। शाला दर्पण पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार सत्र 2019–20 में कक्षा 8 उत्तीर्ण 528302 विद्यार्थियों की अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान विषय मे से किसी एक विषय अथवा एक से अधिक विषयों में सी या डी ग्रेड है। इन विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को सुधारने एवं कक्षा 9 के स्तर तक लाने के लिए विशेष शिक्षण कक्षाओं के आयोजन हेतु निम्नांकित दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें :–

लक्षित समूह :–

- कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम के आधार पर विज्ञान, गणित व अंग्रेजी विषय में C एवं D ग्रेड वाले कक्षा 9 में अध्ययनरत विद्यार्थी।

विशेष शिक्षण कक्षा संचालन :–

(A) माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय जहाँ लक्षित समूह के विद्यार्थी उपलब्ध हैं :–

- कक्षा 9 के लक्षित समूह के विद्यार्थियों को अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान विषयों में आवश्यकतानुसार विशेष शिक्षण कराया जाना है। विषयाध्यापक (अंग्रेजी, गणित, विज्ञान) द्वारा विद्यालय समय से पूर्व कक्षा 9 के लक्षित समूह के विद्यार्थियों को अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान विषयों की उस विषयवस्तु पर विशेष शिक्षण (उपचारात्मक शिक्षण) प्रदान करेंगे, जिस विषयवस्तु में कक्षा 8 में विद्यार्थी कमजोर था, साथ ही उस विषयवस्तु का संबंध कक्षा 9 से भी है। विशेष शिक्षण (उपचारात्मक शिक्षण) हेतु निम्नांकित कार्यवाही की जावे।
- विद्यालय समय से पूर्व एकान्तर क्रम में विषय का शिक्षण किया जायेगा, जिसकी अवधि 40 से 50 मिनट होगी।
- अंग्रेजी, गणित व विज्ञान विषयों के कक्षा 9 के अध्यायों में से उन अध्यायों का चयन किया जाये जो कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तकों की विषयवस्तु से संबंधित है।
- लक्षित समूह के विद्यार्थियों का कक्षा 8 की उस विषयवस्तु जो कक्षा 9 से संबंधित है में पूर्व ज्ञान का आकलन एक मूल्यांकन परीक्षा द्वारा किया जाये।
- मूल्यांकन परीक्षा के आधार पर विद्यार्थी के विषयवस्तु के ज्ञान स्तर अनुसार विशेष शिक्षण (उपचारात्मक शिक्षण) की कार्ययोजना बनाई जायें।
- विशेष शिक्षण (उपचारात्मक शिक्षण) 60 दिवस तक कराया जायेगा। अतः कार्ययोजना 60 दिवसीय होगी।
- शिक्षकों को सुलभ सन्दर्भ हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् द्वारा तैयार की गई अंग्रेजी, गणित व विज्ञान विषय में उपचारात्मक शिक्षण की 60 दिवसीय कार्ययोजना को समग्र शिक्षा पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है। संस्थाप्रधानों द्वारा इसे डाउनलोड कर उपचारात्मक शिक्षण कार्य वाले

www.Rajegyan.in

विषय शिक्षकों को उपलब्ध कराया जाये। इस कार्य के लिए व्यय राशि कम्पोंजिट स्कूल ग्रान्ट मद से व्यय किया जायेगा।

- यथा संभव (उपलब्धता के आधार पर) टीएलएम, विज्ञान एवं गणित किट का प्रयोग किया जावें जिसमें सीखना सरल एवं रोचक होगा।
- उपचारात्मक शिक्षण लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को विद्यालय द्वारा प्रत्येक विषय के लिए पृथक से अभ्यास पुस्तिका उपलब्ध कराई जाये।
- उपचारात्मक शिक्षण के अन्तर्गत सतत् साप्ताहिक मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थी की प्रगति आंकलित की जाये।
- एक माह पश्चात मासिक मूल्यांकन किया जाये।
- कक्षा 9 के अन्य विद्यार्थियों के साथ अध्ययन करते समय लक्षित समूह के विद्यार्थियों को संबलन प्रदान किया जाये।
- उपचारात्मक शिक्षण लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी की अलग से उपस्थिति पंजिका संधारित की जाये।
- उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने वाले शिक्षकों व बी.एड इन्टर्न को किसी भी प्रकार का मानदेय देय नही होगा। लक्षित समूह के विद्यार्थियों को अभ्यास पुस्तिका एवं अन्य सहायक सामग्री हेतु प्रति विद्यार्थी प्रति विषय 50 रू (60 दिवस के लिए) देय होगा।
- जिन माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में लक्षित समूह के विद्यार्थी उपलब्ध है उन समस्त विद्यालयों के संस्थाप्रधान ऐसे विद्यार्थियों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किये जाने की व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करें।

(B) माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय जहाँ विषयाध्यापक कार्यरत नहीं है :–

- जिन विद्यालयों में विषयाध्यापक नहीं है वहां विषय के बी.एड इन्टर्न शिक्षक के माध्यम से शिक्षण कार्य कराया जावे।
- जहॉ बी.एड इन्टर्न भी उपलब्ध नही है वहॉ विशेष शिक्षण हेतु योग्यताधारी विषय विशेषज्ञ व्यक्ति को एसडीएमसी में प्रस्ताव लेकर लगाया जावे।

(C) वित्तीय प्राधान :–

- लक्षित समूह के विद्यार्थी को एक विषय में सी अथवा डी ग्रेड होने पर रू. 50, दो विषय में सी अथवा डी ग्रेड होने पर रू. 100 एवं तीनो विषयों में सी अथवा डी ग्रेड होने पर रू. 150 की सहायक सामग्री व अभ्यास पुस्तिका इत्यादि उपलब्ध कराई जायेगी।
- परिशिष्ट–1 में जिलेवार कक्षा 8 में अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान विषय में सी व डी ग्रेड वाले विद्यार्थियों की संख्या शाला दर्पण पोर्टल से प्राप्त कर संलग्न की गई है। परिशिष्ट–2 में जिलेवार विद्यार्थियों की संख्या अनुसार प्रति विद्यार्थी प्रति विषय 50 रू. की दर से राशि आंकलित की गई है।
- समस्त माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9वीं में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थियों की सूचना लेने के लिए जिनकी कक्षा 8वीं में अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान विषय में सी अथव डी ग्रेड है, शाला दर्पण पोर्टल पर माडयूल लाइव किया गया है।
- जिला कार्यालय इस माडयूल में माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों से सूचना प्रविष्ट कराकर एडीपीसी लॉगिन पर उपलब्ध रिपोर्ट की संख्या अनुसार प्रति विद्यार्थी प्रति विषय की दर से राशि विद्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

www.Rajegyan.in

- दिशा–निर्देश जारी होते ही विद्यालयों में कक्षा 9 के लक्षित समूह के विद्यार्थियों के लिए रेमेडियल टीचिंग की कक्षाऐं प्रारम्भ कर दी जायें। राशि प्राप्त होते ही विद्यालय द्वारा इस कार्य हेतु वहन की गई राशि को परिषद द्वारा जारी राशि मे से समायोजित कर लिया जाये।

(D) **क्रियान्वयन एवं रिकार्ड संधारण :–**

- विशेष कक्षाओं हेतु संस्था प्रधान की देख रेख में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् द्वारा जारी दिशा–निर्देश एवं प्रस्तावित कार्य योजना अनुरूप शिक्षण योजना की समयबद्ध प्रभावी क्रियान्विति सुनिश्चित की जावे।
- विशेष कक्षाओं हेतु शिक्षक द्वारा पृथक से पाठ योजना अनुरूप तैयारी की जावे व शिक्षण को गतिविधि आधारित एवं Practical द्वारा सरल बनाया जावे।
- विशेष शिक्षण के लिये चयनित विषयों हेतु शिक्षण योजना में पाक्षिक टैस्ट/आंकलन आयोजित किये जाये और उपलब्धि स्तर का रिकॉर्ड संधारित किया जावे।
- विशेष शिक्षण कक्षाओं के संदर्भ में विशिष्ट अवलोकन पंजिका संधारित की जावे, जिसमें संस्थाप्रधान/जिला शिक्षा अधिकारी/एडीपीसी/अन्य आगन्तुक अधिकारी द्वारा विशेष शिक्षण व्यवस्था पर टिप्पणी अंकित की जावे।
- विशेष शिक्षण कक्षाओं की सम्पूर्ण प्रगति का आकलन रेमेडियल कक्षाओं के समापन कर शिक्षक द्वारा एण्डलाइन आकलन/टैस्ट के परिणामों के आधार पर किया जायेगा।
- सम्पूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के अभिलेखों (रिकॉर्ड) का प्रतिदिन संधारण किया जाये। इस अभिलेख में विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति, साप्ताहिक पाठ–योजना, सम्पूर्ण शिक्षण योजना, आकलन पत्रक, अभ्यास पत्रक प्रगति टैस्ट–पेपर, विद्यार्थियों की उपलब्धि आदि होंगी।
- समस्त सामग्री का क्रय लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधान अनुसार किया जावें।
- विद्यालय उपयोगिता प्रमाण पत्र GF &AR के अनुसार निर्धारित प्रारूप में ब्लॉक कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे एवं ब्लॉक कार्यालय द्वारा समेकित कर ब्लॉक उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा।
- जिला एडीपीसी कार्यालय जिले का उपयोगिता प्रमाण पत्र GF&AR के अनुसार निर्धारित प्रारूप में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के प्रशिक्षण प्रकोष्ठ को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(D) **विशेष शिक्षण हेतु संदर्भ सामग्री–**

- कक्षा 6, 7 एवं 8 के विषयवार कोर कॉनसेप्ट के अतिरिक्त परिषद् द्वारा प्रकाशित उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री का उपयोग किया जाना है।
- संस्थाप्रधान द्वारा उक्त सामग्री को विषयाध्यापक को Print out कर उपलब्ध करावें, जिसे विशेष शिक्षण हेतु आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा सकेगा।

(E) **मॉनिटरिंग :–**

- विशेष शिक्षण कक्षाओं की मॉनिटरिंग हेतु सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा की होगी।
- समय–समय पर संस्था प्रधान विशेष शिक्षण कक्षाओं का अवलोकन करें एवं अवलोकन पंजिका में शिक्षण व्यवस्था की वस्तु–स्थिति पर टिप्पणी अंकित की जावे।

www.Rajegyan.in

- जिला स्तर से जिला परियोजना समन्वयक/अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक/अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी अभियान चलाकर विशेष शिक्षण कक्षाओं की मॉनिटरिंग करें एवं अवलोकन पंजिका में टिप्पणी अंकित करें।
- विद्यालय अवलोकन के लिए जाने वाले अधिकारियों को विशेष शिक्षण कक्षाओं के अवलोकन का प्रपत्र उपलब्ध करवाकर प्राप्त स्थिति की रिपोर्ट परिषद मुख्यालय भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- जिला एवं राज्य स्तर से की गई मॉनिटरिंग की रिपोर्ट परिषद मुख्यालय में प्रशिक्षण शाखा को प्रेषित की जाये।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

16/10/19.

(हरभान मीणा)
राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांकःरा.स्कू.शि.प./जयपुर/गुणवत्ता/रेमेडियल कक्षायें/2019–20 6911 दिनांकः 18/10/19

प्रतिलिपि :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वंतत्र प्रभार) महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
6. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा समस्त संभाग।
8. जिला परियोजना समन्वयक/अति रिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समसा, समस्त जिले।
9. कार्यालय प्रति।

अति. राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम

www.Rajegyan.in